

# प्रेस नोट दिनांक 27.05.2022 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

**25,000/- रुपये का इनामिया/गैगेस्टर/वांछित/पशु तस्कर 01 नफर अभियुक्त अपने एक साथी के साथ गिरफ्तार, कब्जे से 03 किलो गांजा बरामद**

पकड़े गए 25,000 रुपये के इनामिया/गैगेस्टर/पशु तस्कर अभियुक्त तौसीफ आलम की गिरफ्तारी में जनपद गोरखपुर की स्वाट प्रभारी निरीक्षक प्रदीप शर्मा मय टीम व एसओजी प्रभारी उ0नि0 मनीष यादव मय टीम का उत्कृष्ट योगदान रहा है, उक्त उत्कृष्ट कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा स्वाट व एसओजी टीम को 25000 रु0 का पुरस्कार प्रदान किया गया ।

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट मय टीम, स्वाट प्रभारी निरीक्षक प्रदीप शर्मा मय टीम व एसओजी प्रभारी उ0नि0 मनीष यादव मय टीम द्वारा दो नफर अभियुक्तगण/पशुतस्कर 1. तौसीफ आलम पुत्र गुलाम वारिस शेख निवासी समेरा हरदों पोस्ट करकुईया थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर 2. आसिफ शेख पुत्र गुलाम वारिस शेख निवासी समेरा हरदों पोस्ट करकुईया थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर के कब्जे से कुल 03 किलो गांजा बरामद कर दिनांक 27.05.2022 समय करीब 12.50 बजे रात्रि में मुखबिर की सूचना पर पैडलेगंज डिवाइडर के पास से गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 361/22 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**संक्षिप्त विवरण पूछताछ विवरण:-** जनपद गोरखपुर में सक्रिय पशुतस्कर गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी हो कि जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा आदेशित किया गया था उक्त आदेश के क्रम में आज दिनांक 26-27/05/2022 की रात को थाना कैण्ट पुलिस एवं स्वाट व एसओजी टीम गोरखपुर द्वारा दो नफर अभियुक्तगण/पशुतस्कर 1. तौसीफ आलम पुत्र गुलाम वारिस शेख निवासी समेरा हरदों पोस्ट करकुईया थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर 2. आसिफ शेख पुत्र गुलाम वारिस शेख निवासी समेरा हरदों पोस्ट करकुईया थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर को नाजायज गांजा के समय करीब 12.50 बजे रात्रि में पैडलेगंज डिवाइडर के पास से गिरफ्तार किया गया । पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम दोनो भाई अपने साथी मोनू आदि के साथ गोरखपुर के सड़को के किनारे साढ़ व गायो को पिकअप पर लोड करके ले जाकर बिहार में बेच देते है । हम लोग पुलिस से बचने के लिए अपने पिकअप में पत्थर रखे रहते है । हम लोगो द्वारा 19.05.2022 को चिलुआताल क्षेत्र व 17.04.2022 को विश्वविद्यालय चौराहा थाना क्षेत्र कैण्ट से गाय चोरी किये थे । इसके अलावा 20-21/05/022 को रात मे जब हम लोग थाना क्षेत्र तिवारीपुर में गायो की चोरी करने गये थे थाना प्रभारी की जीप से पुलिस वालो ने हम लोगो का पीछा किया था जिसपर हम लोगो ने उनपर पत्थर फेक कर भाग गये थे । तौसीफ आलम द्वारा बताया गया कि साहब मैने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 03.01.2022 को रात्रि में गुलरिहा थाना क्षेत्र के सूरैया में पीआरवी व पुलिस की गाड़ी को तोड़ा था एवं रोड पर से पशु चोरी कर ले गये थे । वर्ष 2020 में चिलुआताल से एक और गाय चोरी किये थे इसके अलावा हम लोगो ने खोराबार , पिपराईच, गुलरिहा , रामगढ़ताल आदि क्षेत्रों से कई गायों की चोरी किये है । इन्ही गाय व साढो को बिहार में बेचकर हम लोग अपना जीवन यापन करते है । हर सप्ताह में तीन बार आकर चोरी करते है । आज हम दोनो भाई बिहार जा रहे थे । वहां पर गांजा को बेचते है तो हमलोग का खर्च का पैसा मिल जाता । हम दोनो भाई जब भी गोरखपुर आते है अपने साथी मोनू आदि के साथ साढ़ जो रोड़ पर मिलते है उसको पिकप पर लोड कर के ले जाकर बिहार में बेच देते है । बेचकर जीवकोपार्जन करता हूँ ।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. तौसीफ आलम पुत्र गुलाम वारिस शेख निवासी सेमरा हरदों पोस्ट कुटकुईया थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर
2. आसिफ शेख पुत्र गुलाम वारिस शेख निवासी सेमरा हरदों पोस्ट कुटकुईया थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर

## अभियुक्तगणों का अपराधिक इतिहास-

**तौसीफ आलम पुत्र गुलाम वारिस शेख निवासी सेमरा हरदों पोस्ट कुटकुईया थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर**

1. मु0अ0सं0- 361/22 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0-383/2021 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि,1986 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0-1312/2020 धारा-3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955,11 पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम,1960 व 307/34 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0-1314/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0- 238/2022 धारा 379 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
6. मु0अ0सं0-727/2020 धारा-3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 1955 व 11 पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधि 1960 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
7. मु0अ0सं0- 708/20 धारा 307/332/353 भादवि थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

**आसिफ शेख पुत्र गुलाम वारिस शेख निवासी सेमरा हरदों पोस्ट कुटकुईया थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर**

1. मु0अ0सं0- 361/22 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0- 238/2022 धारा 379 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

## बरामदगी-

03 किलो नाजायज गाँजा व एक अदद स्कूटी नं0 UP 57 AX 3572 (जिसके डिग्गी में गाँजा रखा था )

## गिरफ्तारी का स्थान /समय -

पैडलेगंज डिवाइडर के पास से / दिनांक 27.05.2022 /समय 12.50 बजे रात्रि

## गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी स्वाट श्री प्रदीप शर्मा मय टीम
2. प्रभारी निरीक्षक कैण्ट श्री शशि भूषण राय मय टीम
3. प्रभारी एसओजी उ0नि0 मनीष कुमार यादव मय टीम
4. प्रभारी सर्विलांस उ0नि0 धीरेन्द्र राय मय टीम